

कार्यालय नगर परिषद उदयपुर (राज)

बैठक संख्या:- 1

दिनांक:- 14.5.2010

वार :- शुक्रवार

समय:- दोपहर 1.00 बजे

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण।

आज दिनांक 14.5.2010 दोपहर 1.00 बजे समिति की बैठक समिति अध्यक्ष श्रीमति रजनी डांगी की अध्यक्षता में आरंभ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. श्री फूल सिंह मीणा | सदस्य |
| 2. श्री मुहम्मद खलील | सदस्य |
| 3. श्री बी.एम. असावा | आयुक्त एवं सदस्य सचिव |
| 4. श्री अरुण चतुर्वेदी | उपनगर नियोजक उदयपुर |

सर्वप्रथम समिति अध्यक्ष श्रीमती रजनी डांगी द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया ओर बैठक की कार्यवाही एजेण्डा अनुसार आरंभ की गई।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में/नियमन/नामान्तरण /लीज डीड के संबंधी पत्रावलियों पर विचार विमर्श किया व समिति द्वारा बैठक से पूर्व स्थल निरीक्षण किये गये तथा मौके पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। परिषद के आयुक्त एवं सदस्य सचिव द्वारा नियमन, नामान्तरण, लीज डीड विचाराधिन पत्रावलियों को समिति के समक्ष रख कर विस्तृत जानकारी दी गई। समिति में उपनगर नियोजक व सहायक अभियंता उपस्थित थे जिनके साथ समिति के सदस्यों द्वारा भी मौका देखा जाने पर तकनीकी राय से भी अवगत कराया। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित पत्रावलियों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

1. भ.अ/148/08-09 श्री शंकर सिंह पिता लाल सिंह देवडा मकान नं. 978 (नये) ,(पुराने) 6 पाठों की मगरी उदयपुर। दिनांक 14.5.2010 को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक रखी गयी व मौका देखा गया। प्रार्थी को पूर्व भ.अ./55/2000-2001 अनुसार बिना निकासु के भूतल की स्वीकृति दी गई थी परंतु प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध निकासु का निर्माण किया गया। प्रार्थी का प्रकरण दिनांक 25.9.2008 भवन अनुमति समिति की बैठक में रखा गया था। जिसमें नियमन करने का निर्णय लिया गया था। एवं अनुमोदन हेतू प्रशासनिक समिति में रखें जाने हेतू लिखा था। अतः अपराधों का शमन एवं समझौता समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है भवन अनुमति समिति द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 25.9.2008 के अनुसार ही उक्त प्रकरण का अनुमोदन कर स्वीकृति दी जाती है।

2. भ.अ/271/08-09 श्री मती शाहिदा शबनम पति अरशद हुसैन 8/4268, हरवेन जी का खुर्रा आयुर्वेदिक चिकित्सालय के सामने हाथीपोल अंदर उदयपुर। दिनांक 14.5.2010 को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक रखी गयी व मौका देखा गया। प्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति के मय निकासु के भू तल का निर्माण किया गया प्रार्थी का प्रकरण दिनांक 25.6.2009 भवन अनुमति समिति की बैठक में रखा गया था। जिसमें भूतल का नियमन करने का निर्णय लिया गया था। एवं अनुमोदन हेतू प्रशासनिक समिति में रखें जाने हेतू लिखा था। अतः अपराधों का शमन एवं समझौता समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है भवन अनुमति समिति द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 25.6.2009 के अनुसार ही उक्त प्रकरण का अनुमोदन कर स्वीकृति दी जाती है।

3. भ.अ/13/08-09 श्री मुरली मनोहर पिता आनंदी लाल सनाढ्य एवं श्री राजीव सनाढ्य पिता मुरली मनोहर 460/29 भोपा मगरी उदयपुर। दिनांक 14.5.2010 को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया व मौका देखा गया। प्रार्थी ने बेसमेंट भूतल + दो मंजिल सेटबेक को शामिल करते हुए बिना स्वीकृति के बना लिया गया था। प्रार्थी का प्रकरण पुर्व में दिनांक 10.9.2009 भवन अनुमति समिति की बैठक में रखा गया था जिसमें निर्णय लिया गया था कि पुरे भवन का नियमन होगा या मात्र सेटबेक का नियमन होगा अतः अपराधों का शमन एवं समझौता समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने बिना स्वीकृति के परे भवन का निर्माण किया गया है एवं प्रार्थी के सेटबेक सामने से 15'-0" फीट साईड से 10'-0" फीट एवं पीछे से 10'-0" फीट सेटबेक छोडने का प्रावधान है जिसमें भी सेटबेक को भवन में शामिल कर लिया गया है अतः अपराधों का शमन एवं समझौता समिति द्वारा सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सेटबेक छोडकर निर्माण किया है उसकी शास्ती लागत की 7.5 प्रतिशत से ली जावे एवं सेटबेक में जो निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं पार्किंग की कमी का 50,000 रूपये प्रति ई सी यू से राशि ली जावे। एवं किये गये बेसमेंट भूतल + दो मंजिल व्यवसाय भवन का नियमन किया जाने की स्वीकृति दी जाती है।

4. भ.अ/317/2005-2006 श्री हरीश मेघवाल पिता अमरचंद मेघवालों का मोहल्ला गोवर्द्धन विलास उदयपुर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में रखा गया व मौका देखा गया मौके पर भवन बना हुआ है पूर्व में भवन निर्माण समिति द्वारा दिनांक 11.6.2009 को नियमन जिसमें नियमन करने का निर्णय लिया गया था। एवं अनुमोदन हेतू प्रशासनिक समिति में रखें जाने हेतू लिखा था। अतः अपराधों का शमन एवं समझौता समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है भवन अनुमति समिति द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 11.6.2009 के अनुसार ही उक्त प्रकरण का अनुमोदन कर स्वीकृति दी जाती है।

5. भ.अ/260/2008-2009 श्री राजू पिता गेहरी लाल खटीक एवं कुसुम पति राजु खटीक 155 इन्द्रा कोलोनी कच्ची बस्ती गोवर्द्धन विलास उदयपुर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में रखा गया। तथा मौका भी देखा गया पूर्व में भवन निर्माण समिति द्वारा दिनांक 11.6.2009 को किये गये अनाधिकृत निर्माण को नियमन किये जाने हेतू लिया गया। मौके पर प्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर चबूतरा एवं सिढियां बना दी गई है जिसे प्रार्थी को सूचित किया जाकर किये गये सरकारी भूमि पर चबूतरा एवं सिढियों को हटा लेवे एवं परिषद में फोटो सहित सूचित करे तत्पश्चात निर्माण समिति द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय दिनांक 11.6.2009 को नियमन किये जाने का अनुमोदन किया जाता है।

6. भ.अ/27/2009-2010 श्रीमती निर्मला देवी पति हीरा लाल कसारा एवं श्रीमती मंजू देवी पति शिव कुमार जी कसारा 385 हिरण मगरी सेक्टर नं. 11 उदयपुर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में रखा गया तथा मौका देखा गया मौके पर निर्माण किया गया जिसका नियमन भवन निर्माण समिति द्वारा दिनांक 25.6.2009 को नियमन किया गया। अतः समिति द्वारा उक्त किये गये नियमन का अनुमोदन किया जाकर स्वीकृति दी जाती है।

7. भ.अ/276/2008-2009 श्रीमती निर्मला वैध पति रमेश कुमार वैध 8, सीटी स्टेशन रोड तोरण बावडी के सामने, सुरजपोल उदियापोल स्कीम उदयपुर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में रखा गया तथा मौका देखा गया मौके पर किये गये अनाधिकृत निर्माण का भवन निर्माण समिति द्वारा दिनांक 24.7.2009 को नियमन किया गया। अतः इस समिति द्वारा उक्त किये गये नियमन का अनुमोदन किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

8. भ.अ/30/2009-2010 श्री राजेन्द्र सिंह पिता कालू सिंह इन्द्रा मकान नं 11 सेन्द्रल एरिया आवरी माता मंदिर के पास उदयपुर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता

समिति की बैठक में रखा गया तथा मौका देखा गया मौके पर किये गये अनाधिकृत निर्माण का नियमन बाबत भवन निर्माण समिति द्वारा दिनांक 10.9.2009 को निर्णय लिया गया उसी अनुसार मौके पर बना हुआ है। अतः इस समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भवन निर्माण समिति द्वारा लिये गये निर्णय का अनुमोदन किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

9. भूखण्ड संख्या 977 हिरण मगरी सेक्टर नं. 3 श्री जितेन्द्र बोर्दिया पिता सुल्तान सिंह बोर्दिया द्वारा दिनांक 7.1.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात् रिलिज डीड के अनुसार स्वयं के नाम का नामान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में रखा गया तथा मौका देखा गया पत्रावली में मौका रिपोर्ट एवं नक्शे अनुसार प्रार्थी ने ग्राउण्ड फ्लोर एवं फस्ट फ्लोर का निर्माण कर रखा है। एवं सेट बैक में भी निर्माण कर रखा है। प्रार्थी ने फ्रन्ट में पश्चिम तरफ 10 फीट सेट बैक के स्थान पर 12 फीट सेट बैक छोड़ रखा है एवं 3फीट 3 इंची निकासु निकाल रखा है दक्षिण तरफ 10 फीट के सेट बैक के स्थान पर 8'-9" सेट बैक छोड़ा व 3'-3" निकासु बना रखा है। एवं पूर्वी दक्षिणी कोने में सेट बैक में कमरा बनाया गया है। एवं उत्तर तरफ साइड सेट बैक 7'-6" फीट सेट बैक के स्थान पर 10'-0" सेट बैक छोड़ा गया व प्रार्थी ने सेट बैक में गैरिज को कमरे में परिवर्तित कर दिया गया है। एवं बरामदा व निकासु भी निकाला गया है। प्रार्थी ने प्रथम तल में भी भू तल के अनुसार ही सेट बैक में निर्माण किया गया है। व प्रथम तल बिना स्वीकृति के बनाया गया है। एवं पीछे की तरफ 5'-0" के सेट बैक में भी 3'-3" निकासु बनाया गया है। प्रार्थी का दिनांक 12.2.1986 को सिर्फ भूतल की ही नियमानुसार सेट बैक छोड़ते हुए स्वीकृति दी गयी थी। अतः समिति द्वारा सर्व सम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो भूतल एवं प्रथम तल में सेट बैक में जो निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे। एवं प्रथम तल जो बिना स्वीकृति के सेट बैक छोड़कर जो निर्माण किया गया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से ली जाकर नियमन करने की स्वीकृति दी जाती है। राशि जमा होने के पश्चात् नामान्तरण जारी किया जावे।

10. प्लाट नं. 564 हिरण मगरी सेक्टर नं. 4 उदयपुर श्रीमती रक्षा जैन पति दिनेश जैन द्वारा दिनांक 20.7.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें वसीयत के अनुसार स्वयं के नाम का नामान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में रखा गया तथा मौका देखा गया पत्रावली में मौका रिपोर्ट एवं नक्शे अनुसार प्रार्थी ने पूर्व में स्वीकृति अनुसार निर्मित ए बी सी डी लाईन के अलावा पीछे की तरफ बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया एवं पीछे की तरफ 5'-0" के सेट बैक के स्थान पर 3'-6" सेट बैक छोड़ा गया जिसमें भी निकासु व टायलेट का निर्माण किया गया व साइड में 5'-0" के स्थान पर 4'-9" सेट बैक छोड़ा गया जिसमें भी निकासु रोस बनाया गया एवं सामने की तरफ 10'-0" के स्थान पर 10'-0" सेट बैक छोड़ा गया जिसमें निकासु बनाया गया है। अतः मिति द्वारा सर्व सम्मिति से निर्णय लिया गया की प्रार्थी ने जो ए बी सी डी लाईन के अलावा सेट बैक छोड़कर जो निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से ली जावे। एवं सेट बैक में जो निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से लेते हुए किये गये बिना स्वीकृति के निर्माण को नियमन करने की स्वीकृति दी जाती है। राशि जमा होने के पश्चात् नामान्तरण जारी किया जावे।

11. भूखण्ड संख्या 896 हिरण मगरी सेक्टर 4 उदयपुर श्रीमती कुसुम झा पत्नि इन्द्रकान्त झा द्वारा दिनांक 20.7.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वयं के नाम का नामान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में रखा गया तथा मौका देखा गया पत्रावली में मौका रिपोर्ट एवं नक्शे अनुसार प्रार्थी को पूर्व में नगर विकास प्रन्यास द्वारा दिनांक 11.12.71 को भूतल निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी। प्रार्थी ने सामने से 10'-0" सेट बैक में कमरा बना रखा है साइड सेट बैक 7'-6" सेट बैक छोड़ रखा है एवं पीछे की तरफ 5'-0" सेट बैक के स्थान पर 4'-9" सेट बैक छोड़ रखा है एवं किचन का निर्माण कर रखा है। अतः समिति द्वारा सर्व सम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने सेट बैक में जो निर्माण कर रखा है। उसकी शास्ती आरक्षित दर से वसूल की जावे।

एवं नियमन करने की स्वीकृति दी जाती है। प्रार्थी ने जो सामने के सेट बेक में कमरा बना रखा है। उसे व्यवसाय नहीं करने का शपथ पत्र लिया जावे। राशि जमा होने के पश्चात् नामान्तरण जारी किया जावे।

12. प्लॉट न 895 हिरण मगरी सेक्टर नं. 4 कुसुम झा पति इन्द्रकान्त झा द्वारा दिनांक 7.1.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वयं के नाम का नामान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में रखा गया तथा मौका देखा गया पत्रावली में मौका रिपोर्ट एवं नक्शे अनुसार प्रार्थी ने पूर्व में दिनांक 28.2.86 को भू तल की स्वीकृति नियमानुसार सेट बेक छोड़ते हुए दी गयी थी प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सामने के सेट बेक 10'-0" के स्थान पर कमरे का निर्माण फ्रन्ट में कर रखा है एवं निकासु निकाल रखा है साईड सेट बेक 7'-6" के स्थान पर 9'0" सेट बेक छोड़ा गया है एवं निकासु निकाला गया है एवं सेट बेक में ही गैराज बनाया गया है जिसका कोई नियमों में प्रावधान नहीं था। पीछे का सेट बेक 5'-0" के स्थान पर 4'-9" छोड़ा गया है जिसमें किचन का भी निर्माण किया गया है एवं प्रथम तल की कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी। और गैराज के उपर सेट बेक में कमरा बरामदा सीडी की लैंडिंग आदि बनाई गई व एक टीनशेड कमरा व टायलेट भी बिना स्वीकृति के बनाया गया है। अतः समिति द्वारा सर्व समिति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने भू तल एवं प्रथम तल के सेट बेक क्षेत्र में जो निर्माण किया गया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे। और सेट बेक छोड़कर जो निर्माण किया गया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से लेते हुए नियमन करने की स्वीकृति दी जाती है। सामने के सेट बेक में जो कमरा बनाया है उसे वाणिज्यिक उपयोग में नहीं लेने का शपथ पत्र लिया जावे। राशि जमा होने के पश्चात् नामान्तरण जारी किया जावे।

13. दुकान का भूखण्ड संख्या 2 हिरण मगरी सेक्टर नं. 4 श्री रतन लाल पिता प्रेमराम शर्मा उदयपुर द्वारा दिनांक 7.7.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें स्वयं की दुकान की लीज डीड हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में रखा गया तथा मौका देखा गया मौके पर प्रार्थी ने यू आई टी द्वारा टाईप डिजाईन अनुसार दिनांक 23.1.89 को स्वीकृति में बेसमेंट एवं सीडी का कोई प्रावधान नहीं था प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध बेसमेंट एवं सीडी का निर्माण किया गया अतः समिति द्वारा सर्व समिति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के प्रकरण को निरस्त किया जाता है एवं बेसमेंट भरकर परिषद को सूचित करे।

14. भूखण्ड संख्या 729 हिरण मगरी सेक्टर 11 बंसती देवी पति भंवर लाल जैन एवं जिनेन्द्र कुमार एवं अरविन्द कुमार पिता भंवर लाल जैन उदयपुर द्वारा दिनांक 13.1.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वयं के नाम का नामान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में रखा गया तथा मौका देखा गया पत्रावली में मौका रिपोर्ट एवं नक्शे अनुसार प्रार्थी का पूर्व में दिनांक 9.9.80 को नियमानुसार सामने से 20'-0" सेट बेक एवं तीनों तरफ 10'-0" 10'-0" छोड़ते हुए भू तल एवं प्रथम तल की स्वीकृति दी गयी थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध भू तल एवं प्रथम तल में बिना स्वीकृति के कुछ हिस्से में निर्माण किया एवं भूतल के सेट बेक में डब्ल्यू सी बाथ एवं कमरे का निर्माण किया गया अतः समिति द्वारा सर्व समिति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने सेट बेक में जो निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे। एवं सेट बेक छोड़कर जो भूतल एवं प्रथम तल

के आंशिक भाग में निर्माण किया उसकी शास्ती 5 प्रतिशत से लेते हुए किये गये निर्माण को नियमन करते हुए स्वीकृति दी जाती है। राशि जमा होने के पश्चात् नामान्तरण जारी किया जावे।

15. भूखण्ड संख्या 15 हिरण मगरी सेक्टर 11 श्री ऊँकार लाल पिता नाथू लाल जैन उदयपुर द्वारा दिनांक 21.5.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें रिलिज डीड के अनुसार स्वयं के नाम का नामान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में रखा गया तथा मौका देखा गया पत्रावली में मौका रिपोर्ट एवं नक्शे अनुसार प्रार्थी का पूर्व में दिनांक 14.11.80 को भूतल की स्वीकृति दी गयी थी जिसमें फ्रन्ट में 10'-0" साईड में 10'-0" एवं पीछे 10'-0" सेट बेक छोड़ते हुए स्वीकृति दी गयी थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सामने की तरफ 10'-0" के स्थान पर 9'-6" सेट बेक छोड़ा व निकासु निकाल रखा है साईड में 10'-0" के स्थान पर 9'-6" सेट बेक छोड़ रखा है एवं निकासु बना रखा है। एवं पीछे के संपूर्ण भाग में निर्माण कर रखा है। व प्रार्थी ने फस्ट फ्लोर बिना स्वीकृति के बनाया गया है। एवं सेट बेक में निकासु भी बनाया गया है व पीछे के संपूर्ण सेट बेक में निर्माण किया गया है। एवं गैराज के उपर भी कमरे का निर्माण किया गया है। प्रार्थी ने सेकेंड फ्लोर में भी गैराज के उपर कमरे का निर्माण कर रखा है। अतः द्वारा सर्व सम्मिति से निर्णय लिया गया है कि प्रार्थी ने भू तल प्रथम तल एवं द्वितीय तल में जो सेट बेक में निर्माण कर रखा है उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे। एवं प्रथम तल में जो सेट बेक छोड़कर निर्माण किया गया है उसकी शास्ती लागत का 5 प्रतिशत से राशि ली जाकर नियमन करने की स्वीकृति दी जाती है। राशि जमा होने के पश्चात् नामान्तरण जारी किया जावे।

16. भूखण्ड संख्या 384 हिरण मगरी सेक्टर नं. 11 श्रीमति कोकिला देवी पति आदेश्वर लाल फन्दोत उदयपुर द्वारा दिनांक 30.7.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें स्वयं के भवन का लीज डीड कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में रखा गया तथा मौका देखा गया पत्रावली में मौका रिपोर्ट एवं नक्शे अनुसार प्रार्थी को पूर्व में दिनांक 5.10.83 को भूतल की स्वीकृति दी गयी जिसमें सामने की तरफ 10'-0" सेट बेक साईड में 10'-0" एवं पीछे 10'-0" सेट बेक छोड़ते हुए ए बी सी डी ई लाईन में रहते हुए स्वीकृति दी गयी है। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया गया एवं गैराज को कमरे में परिवर्तित कर दिया गया है। एवं बिना स्वीकृति के भी निर्माण किया गया है। अतः समिति द्वारा सर्व सम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे। एवं जो सेट बेक छोड़कर जो बिना स्वीकृति के निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से राशि ली जाकर नियमन की स्वीकृति दी जाती है। राशि जमा होने के पश्चात् लीज डीड जारी किया जावे।

17. भूखण्ड संख्या 459 हिरण मगरी सेक्टर नं. 11 श्री शीतल कुमार भाणावत पिता सुन्दर लाल भाणावत उदयपुर द्वारा दिनांक 6.7.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वयं के नाम का नामान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया व निर्णय लिया की प्रार्थी से मौका स्थिति के नक्शें मांगे जावें एवं मौके की रिपोर्ट के साथ आगामी बैठक में प्रकरण रखा जावे।

18. भूखण्ड संख्या 3 मीनी ट्रक स्टैण्ड हरिश सुहालका , रवि सुहालका पिता चमन लाल सुहालका उदयपुर द्वारा दिनांक 18.4.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वयं के नाम का नामान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया तथा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि समिति के सदस्यों को मौका दिखाकर आगामी बैठक में रखा जावे।

19. भूखण्ड संख्या 9 हिरण मगरी सेक्टर 13 श्री पवन ललवानी एवं दीपक ललवानी पिता श्री चन्द ललवानी द्वारा दिनांक 7.1.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वयं के नाम का नामान्तरण /लीज डीड कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में रखा गया तथा मौका देखा गया पत्रावली में मौका रिपोर्ट एवं नक्शे अनुसार प्रार्थी ने दिनांक 12.9.78 को सामने से 10'-0" साईड से 7'-0" एवं पीछे से 10'-0" सेट बेक छोड़ते हुए भूतल की स्वीकृति दी गयी थी परंतु प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सामने के सेट बेक 10'-0" के स्थान पर 8'-3" छोड़ा एवं उसमें भी 4'-3" का निकासु बनाया गया है। व साईड सेट बेक 7'-0" छोड़ा गया है जिसमें 3'-6" निकासु बनाया गया है एवं सेट बेक में स्टोर बरामदा आदि बनाया गया है। व पीछे के 10'-0" के सेट बेक में संपूर्ण भाग में निर्माण कर लिया गया है एवं प्रथम तल में भी सेट बेक को शामिल मिलाते हुए बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया है। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सेट बेक में भू तल एवं प्रथम तल में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से राशि ली जावे। एवं प्रथम तल बिना स्वीकृति के बनाया गया है सेट बेक छोड़कर जो निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन की स्वीकृति दी जाती है। राशि जमा होने के पश्चात् नामान्तरण /लीज डीड जारी किया जावे।

20. भूखण्ड संख्या 807 हिरण मगरी सेक्टर 4 शांति लाल ललावत पिता कालू लाल ललावत उदयपुर द्वारा दिनांक 21.5.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वयं के नाम का नामान्तरण /लीज डीड कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में रखा गया तथा मौका देखा गया पत्रावली में मौका रिपोर्ट एवं नक्शे अनुसार नगर विकास प्रन्यास दिनांक 24.1.77 को सामने से 20'-0" एवं तीनों तरफ 10'-0" , 10'-0" सेट बेक छोड़ते हुए स्वीकृति दी गयी थी प्रार्थी न भूखण्ड संख्या 807 का उपविभाजन कर लिया गया है। एवं प्रार्थी ने सामने की तरफ 20'-0" सेट बेक छोड़ रखा है एवं साईड में 10'-0" सेट बेक के स्थान पर 9'-3" व 6'-0" सेट बेक छोड़ रखा है व सेट बेक में निकासु किचन टायलेट सिढी एवं रूम बना रखा है। व पीछे की तरफ 10'-0" सेट बेक के स्थान पर मात्र 11'-0" x 5'-0" ही जगह छोड़ी गयी है। बाकी संपूर्ण सेट बेक में निर्माण कर लिया गया है। एवं प्रथम तल में भी सेट बेक में कमरा टायलेट, बरामदा , सीढी आदि का निर्माण किया गया अतः द्वारा सर्व सम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध भूतल एवं प्रथम तल के सेट बेक में जो निर्माण किया गया है उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जाकर नियमन की स्वीकृति दी जाती है। प्रार्थी से उपविभाजन शुल्क भी जमा होगा। राशि जमा होने के पश्चात् नामान्तरण /लीज डीड जारी किया जावे।

21. भूखण्ड संख्या 43 हिरण मगरी सेक्टर 8 श्रीमती कमला देवी मेनारिया पति हरी नारायण मेनारिया उदयपुर द्वारा दिनांक 24.6.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वयं के नाम का नामान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में रखा गया तथा मौका देखा गया पत्रावली में मौका रिपोर्ट एवं नक्शे अनुसार

पूर्व में दिनांक 26.6.82 को नगर विकास प्रन्यास द्वारा स्वीकृति दी गयी थी जो कि एक वर्ष तक के लिये ही थी। प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.6.92 को उक्त भूखण्ड खरीदा जिसमें सिर्फ एक कमरा व सिढी ही बनी हुई थी। एवं सेट बेक शामिल मिलाया हुआ था। प्रार्थी ने बाकी पुरा भवन सेट बेक को शामिल मिलाते हुए बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया। अतः समिति द्वारा सर्व सम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी न सेट बेक में जो निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे। एवं सेट बेक छोड़कर जो निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए किये गये बिना स्वीकृति के निर्माण को नियमन की स्वीकृति दी जाती है। राशि जमा होने के पश्चात् नामान्तरण जारी किया जावे।

22. भूखण्ड संख्या 5 मीनी ट्रक स्टैण्ड हरिश सुहालका , रवि सुहालका पिता चमन लाल सुहालका उदयपुर द्वारा दिनांक 21.5.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वयं के नाम का नामान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया तथा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि समिति के सदस्यों को मौका दिखाकर आगामी बैठक में रखा जावे।

23. भूखण्ड संख्या 100 मीनी ट्रक स्टैण्ड सेन्द्रल एरिया श्री इन्द्रा देवी लौहार पिता चम्पालाल लौहार उदयपुर द्वारा दिनांक 8.10.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वयं के नाम का नामान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया व निर्णय लिया की प्रार्थी से मौका स्थिति के नक्शों मांगे जावें एवं मौके की रिपोर्ट के साथ आगामी बैठक में प्रकरण रखा जावे।

24. भूखण्ड संख्या 1187 हिरण मगरी सेक्टर नं. 11 चतुर्भुज चन्द्रयाण पिता चुन्नी लाल उदयपुर द्वारा दिनांक 22.12.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें स्वयं का भवन का लीज डीड कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया तथा मौका देखा गया पत्रावली में मौका रिपोर्ट एवं नक्शे अनुसार प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति दिनांक 17.4.87 के विरुद्ध प्रार्थी ने भूतल एवं प्रथम तल में सामने के सेट बेक 25'-0" के स्थान पर 22'-0" सेट बेक छोड़ा गया है साईड में 10'-0" सेट बेक के स्थान पर 7'-6" सेट बेक छोड़ा गया एवं 10'-0" के स्थान पर 8'-6" सेट बेक छोड़ा गया है एवं सेट बेक में किचन भी बना रखा है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया की प्रार्थी ने भूतल एवं प्रथम तल के सेट बेक में जो निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जाकर नियमन करते हुए स्वीकृति दी जाती है। एवं राशि जमा करते हुए लीज डीड जारी की जावे। राशि जमा होने के पश्चात् लीज डीड जारी किया जावे।

25. भूखण्ड संख्या 381 हिरण मगरी सेक्टर 11 श्रीमती सीता देवी पति रामेश्वर लाल एवं भगवती देवी पति रामचन्द्र सोनी उदयपुर द्वारा दिनांक 5.12.2007 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें स्वयं के भवन की लीज डीड कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया तथा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि समिति के सदस्यों को मौका दिखाकर आगामी बैठक में रखा जावे।

26. भूखण्ड संख्या 7 हिरण मगरी सेक्टर 13 श्री श्याम सुन्दर पिता हरगुंद दास जी उदयपुर द्वारा दिनांक 6.1.2010 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वयं के नाम नामान्तरण /लीज डीड कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में रखा गया तथा मौका देखा गया पत्रावली में मौका रिपोर्ट एवं नक्शे अनुसार प्रार्थी को दिनांक 7.6.75 को नगर विकास प्रन्यास द्वारा सामने से 10'-0" साईड से 7'-0" व पीछे से 10'-0" सेट बेक छोड़ते हुए भूतल की स्वीकृति दी गयी थी। प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध सामने की तरफ 10'-0" सेट बेक के स्थान पर 9'-6" सेट बेक छोड़ा गया है एवं सेट बेक में बरामदा एवं निकासु निकाला गया है साईड में 7'-0" के स्थान पर

8'-0" सेट बेक छोड़ा गया है एवं सेट बेक में 2'-6" निकासु निकाला गया है। पीछे की तरफ 10'-0" सेट बेक के स्थान पर 5'-0" सेट बेक छोड़ा गया है एवं उसमें निकासु भी निकाला गया है। प्रार्थी ने प्रथम तल बिना स्वीकृति के बनाया गया है। व सेट बेक में भी निर्माण किया गया है। अतः समिति द्वारा सर्व समिति से यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थी ने भू तल एवं प्रथम तल में सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे। एवं प्रथम तल सेट बेक छोड़कर जो निर्माण किया गया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से राशि ली जावे। किये गये निर्माण को नियमन करने की स्वीकृति दी जाती है। राशि जमा होने के पश्चात् नामान्तरण / लीज डीडजारी किया जावे।

27. भूखण्ड संख्या 800 हिरण मगरी सेक्टर नं. 5 श्री गौतम गोठवाल पिता श्री धनराज जी गोठवाल उदयपुर द्वारा दिनांक 21.1.2010 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वयं के नाम का नामान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया तथा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि समिति के सदस्यों को मौका दिखाकर आगामी बैठक में रखा जावे।

28. भूखण्ड संख्या 4 मीनी ट्रक स्टैण्ड हरिश कुमार सुहालका, पिता चमन लाल सुहालका उदयपुर द्वारा दिनांक 18.4.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वयं के नाम का नामान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया तथा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि समिति के सदस्यों को मौका दिखाकर आगामी बैठक में रखा जावे।

29. भूखण्ड संख्या 188 ए माली कोलोनी श्री कुन्दन सेठ पिता रणजीत लाल जी सेठ उदयपुर द्वारा दिनांक 4.11.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वयं के नाम का नामान्तरण / लीज डीड कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया व निर्णय लिया की प्रार्थी से मौका स्थिति के नक्शें मांगे जावें एवं मौके की रिपोर्ट के साथ आगामी बैठक में प्रकरण रखा जावे।

30 भूखण्ड संख्या 188 माली कोलोनी श्री नरेन्द्र कुमार रांका पिता केशु लाल रांका उदयपुर द्वारा दिनांक 4.11.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वयं के नाम का नामान्तरण / लीज डीड कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया व निर्णय लिया की प्रार्थी से मौका स्थिति के नक्शें मांगे जावें एवं मौके की रिपोर्ट के साथ आगामी बैठक में प्रकरण रखा जावे।

31. भूखण्ड संख्या 38 ए किशन पोल श्री हरी सिंह भाटी पिता रोड सिंह भाटी उदयपुर द्वारा दिनांक 18.3.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वयं के नाम का नामान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया तथा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि समिति के सदस्यों को मौका दिखाकर आगामी बैठक में रखा जावे।

32. भूखण्ड संख्या 252 हिरण मगरी सेक्टर 4 श्री कृष्ण कुमार पिता बिहारी लाल जी देवपुरा उदयपुर द्वारा दिनांक 28.1.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें दान पत्र अनुसार स्वयं के नाम का नामान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में रखा गया तथा मौका देखा गया प्रार्थी के प्रकरण में जो उपविभाजन हुआ है वह आगे पीछे दो भागों में किया गया है जिससे पीछे के भवन में जाने का पर्याप्त रास्ता नहीं है अतः समिति द्वारा सर्व समिति से निर्णय लिया गया है कि यदि आगे पीछे के भवन संयुक्त रूप से नामान्तरण कराना चाहते हैं तो पुनः आवेदन संयुक्त रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थी को सूचित किया जावे।

33. भूखण्ड संख्या 42 हिरण मगरी सेक्टर 5 श्रीमती कुसुम भटनागर पति श्री अशोक भटनागर उदयपुर द्वारा दिनांक 16.12.2009 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वयं के नाम का नामान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया तथा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि समिति के सदस्यों को मौका दिखाकर आगामी बैठक में रखा जावे।

34. भूखण्ड संख्या 135 हिरण मगरी सेक्टर नं. 8 श्री बालमुकुन्द मोदी पिता श्री देवी लाल मोदी उदयपुर द्वारा दिनांक 23.2.2010 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विक्रय पत्र अनुसार स्वयं के नाम का नामान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में रखा गया तथा मौका देखा गया पत्रावली में मौका रिपोर्ट एवं नक्शे अनुसार प्रार्थी को पूर्व में नगर विकास प्रन्यास द्वारा दिनांक 28.7.97 को सामने से 10'-0" साईड से 5'-0" व पीछे से 5'-0" छोड़ते हुए भूतल एवं प्रथम तल की स्वीकृति दी गई थी प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सामने के सेट बेक 10'-0" के स्थान पर 7'-9" सेट बेक छोड़ा गया है व निकासु बनाया गया है। साईड में 5'-0" सेट बेक के स्थान पर मात्र 2'-8" सेट बेक छोड़ा गया व निकासु निकाला गया व पीछे की तरफ 5'-0" सेट बेक के स्थान पर 3'-6" सेट बेक छोड़ा गया एवं सेट बेक में सीढ़ी भी बनाई गई व निकासु निकाला गया अतः समिति द्वारा सर्व समिति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में जो निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से लेते हुए किये गये स्वीकृति के विरुद्ध निर्माण को नियमन करते हुए स्वीकृति दी जाती है। राशि जमा होने के पश्चात् नामान्तरण जारी किया जावे।

35. भूखण्ड संख्या 726 हिरण मगरी सेक्टर नं. 5 श्रीमती सूर्य कांता कचौरिया पति स्व श्री नरेन्द्र कुमार कचौरिया द्वारा दिनांक 2.3.2010 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात् रिलिज डीड के अनुसार स्वयं के नाम का लीज डीड कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर आज दिनांक 14.5.2010 को प्रकरण अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में रखा गया तथा मौका देखा गया पत्रावली में मौका रिपोर्ट एवं नक्शे अनुसार प्रार्थी को पूर्व में नगर विकास प्रन्यास द्वारा 28.10.95 को सामने से 10'-0" साईड से 5'-0" एवं पीछे से 10'-0" छोड़ते हुए भूतल एवं प्रथम तल आवासीय भवन की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सामने के सेट बेक में निकासु बनाया गया। साईड सेट बेक 5'-0" के स्थान पर 4'-3" छोड़ा गया एवं निकासु भी निकाला गया एवं पीछे की तरफ सेट बेक को कमरे एवं टायलेट स्टोर शामिल मिला दिया गया है एवं निकासु भी निकाला गया है अतः समिति द्वारा सर्व समिति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने सेट बेक में जो निर्माण किया गया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जाकर नियमन करते हुए स्वीकृति दी जाती है। राशि जमा होने के पश्चात् नामान्तरण /लीज डीड जारी किया जावे।

आयुक्त
नगर परिषद, उदयपुर

अध्यक्ष
अपराधो का शमन एवं समझौता समिति

क्रमांक:- नपउ/कौशा/08-09/

दिनांक:-

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग , राज. जयपुर ।
2. श्रीमान् उप निदेशक महोदय, (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग , राज. उदयपुर ।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. श्रीमान् सभापति /समिति अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद, उदयपुर।
5. श्री/श्रीमति.....समिति सदस्य।
6. सचिव नगर परिषद, उदयपुर।
7. उप नगर नियोजक, नगर परिषद, उदयपुर।
8.शाखा प्रभारी।
9. निजी सहायक आयुक्त नगर परिषद, उदयपुर।

आयुक्त
नगर परिषद, उदयपुर